(वाद संख्या–199/18)

25.02.2020

परिवादी, डॉ0 मनोज कुमार, उपस्थित हैं।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से मांगा गया प्रतिवेदन अप्राप्त है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा अपने ज्ञापांक–291, दिनांक–08.01.2020 द्वारा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना को, परिवादी के परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में, आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना की ओर से न तो कोई भी उपस्थित हुए और न ही उपरोक्त कथित वांछित प्रतिवेदन ही आयोग को समर्पित किया गया।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी द्वारा संस्थित अनुसूचित जाति/जनजाति थाना कांड संख्या–14/2017, दिनांक–05.09.2017 में अन्वेषण की अग्रेत्तर कार्रवाई से संबंधित है। परिवादी द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि उपरोक्त कांड में अभीतक पुलिस द्वारा अनुसंधान का कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है।

कार्यालय, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना के आयोग के समक्ष आज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वांछित प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने से संबंधित तथ्य की सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को देते हुए उन्हें यह निर्देशित किया जाय कि अगर दिनांक–04.06.2020 के पूर्व व्यक्तिगत उपस्थित होकर वांछित प्रतिवेदन आयोग के समक्ष समर्पित नहीं किया जाता है तो आयोग को वाध्य होकर भा0द0स0 की धारा–176 के अन्तर्गत कारित अपराध के लिए कार्रवाई करने हेतु वाध्य हो जाना पड़ेगा।

आज परिवादी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में परिवादी को अलग से सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–10.6.2020 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक